

**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के निमित्त आवेदन-पत्र**  
(18 वर्ष से 64 वर्ष के बी०पी०एल० परिवार के विकलांगों हेतु)  
**फार्म सं० I.G.N.D.P.S. - 1**

जिला - गढ़वा अनुमंडल ..... प्रखण्ड.....

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :- .....
2. पिता/पति का नाम :- ..... ईपिक नं०.....
3. पूरा पता :- ग्राम/मुहल्ला..... पंचायत ..... डाकघर .....  
पिन कोड नं०..... प्रखण्ड..... अनुमंडल..... जिला-गढ़वा
4. आयु (आवेदन-पत्र देने के दिन) :-.....
5. बी०पी०एल०नं०/वर्ष (2002) :- ..... नजदीकी बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम.....
6. विकलांगता का प्रकार :- टाईप 1 विकलांगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र संलग्न).....  
टाईप 2  
टाईप 3
7. आवेदक/आवेदिका का पहचान चिन्ह :- .....
8. कोटि :-  
1. अनुसूचित जाति  
2. अनुसूचित जन-जाति  
3. पिछड़ी जाति  
4. सामान्य :-
8. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-  
(1) मुझे राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य सरकारी लाभकारी योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है।  
(2) मैं मूलतः झारखण्ड राज्य का निवासी हूँ तथा मैं यहाँ तीन वर्षों से अधिक समय से रह रहा हूँ/रह रही हूँ तथा मैं बी०पी०एल० के अन्तर्गत आता/आती हूँ।  
(3) इस आवेदन-पत्र में दी गई सूचनाएँ सत्य और मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

स्थान :-  
तिथि :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान

**प्रपत्र फार्म सं० I.G.N.D.P.S. - 2**

कांडिका (1 से 5 तक जाँच दल द्वारा भरा जायेगा)  
विकलांग पेंशन के निमित्त आवेदन-पत्रों का जाँच पत्रक

1. क्रम संख्या..... आवेदन-पत्र प्राप्ति की तिथि.....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम :- .....
3. पिता/पति का नाम :- ..... बी०पी०एल० सं०..... कोटि :- SC/ST/BC/GEN
4. पता :- ग्राम/मुहल्ला..... ग्राम पंचायत ..... डाकघर .....  
पिन कोड नं०..... प्रखण्ड..... अनुमंडल..... जिला-गढ़वा
5. विकलांगता का प्रकार :- टाईप 1 विकलांगता का प्रतिशत (प्रमाण-पत्र संलग्न).....  
टाईप 2  
टाईप 3
6. जाँचोपरान्त नियमानुकूल पाकर अग्रसारित करने वाले पदाधिकारी का अनुशांसा :-
7. आवेदन-पत्र भेजने की तिथि :- ..... प्रखंड विकास पदाधिकारी

**आवेदन-पत्र स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का आदेश**

लेखा संख्या एवं वर्ष.....

स्वीकृत/अस्वीकृत

अनुमंडल पदाधिकारी